न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 48 / 2019 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2019 / 00125

1. इन्द्रा देवी पत्नि श्री नथमल जाति कुम्हार निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।
2. कमला पुत्री श्री नथमल, पत्नि श्री कुम्भराज जाति कुम्हार निवासी मदन विहार के पास, वल्लभ गार्डन, मैन रोड़, बीकानेर।
3. सरोज पुत्री श्री नथमल पत्नि श्री खेतपाल जाति कुम्हार निवासी बी–78, अन्त्योदय नगर, बीकानेर।
4. संतोष पुत्री नथमल पत्नि श्री अशोक प्रजापत जाति कुम्हार निवासी रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने, गांधी कॉलोनी, बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नि श्री बनवारी लाल जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
2. रामेश्वर पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
3. रामकुमार पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जि ला हिसार।
4. चावली पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
5. कुन्ता पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
6. कुना देवी पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
7. मु. सरबती पत्नि श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
8. भूप सिंह पि.मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
9. कुरडाराम पि.मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10. राम सिंह पि.मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।

11. नेकीराम पुत्र मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति विश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।

12. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

13. बजरंगलाल पुत्र श्री नथमल जाति कुम्हार निवासी नरसिंहसागर तालाब के पास, बीकानेर।

——प्रोफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः श्री राजेन्द्र सिंह शिमला — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री रामचन्द्र सिंह भाटी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 17.06.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.07.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम कानासर राजस्व तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 183 की 21.7 बीघा खातेदारी भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल 370 दिनांक 06.10.1982 को अपीलांट संख्या 1 के पति व अपीलांट संख्या 2, 3, 4 के पिता के नाम विरासतन दर्ज हो गया। इंतकाल संख्या 370 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 ने न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिला कलक्टर बीकानेर ने दिनांक 23.07.2019 को रेस्पोडेन्ट्स की उक्त अपील को रिमाण्ड करते हुए आंशिक स्वीकार कर ग्राम पंचायत कानासर के अपीलाधीन इंतकाल संख्या 370 दिनांक 06.10.1982 को निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर बीकानेर ने तहसीलदार बीकानेर को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित करने का निर्णय पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 23.07.2019 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह शिगला ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि वाके रोही कानासार राजस्व तहसील बीकानेर में स्थित खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के अपीलांट्स एकमात्र काबिज खातेदार है। अपीलांट्स के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 08.07.1963 को वादग्रस्त कृषि भूमि को अपीलांट्स के पूर्वजों से क्रय करना बताया हैं, किन्तु इसका कोई साक्ष्या अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। रेस्पोडेन्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर ना तो कब्जा है और ना ही इंतकाल दर्ज हुआ है। वादग्रस्त भूमि के उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल हो जाने के कारण उक्त क्षेत्र के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये थे एवं उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी जोत को स्थानान्तरित करने के अधिकार नहीं थे। उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 निम्न प्रकार हैं—

13. Transfer of Rights - (1) No tenent shall without the previous consent in writing of the state government or an officr of the state government authorised by it in this behalf, to be given on the fulfilment of such conditions as may be prescribed, transfer his rights or interest in land by way of sale, mortgage, exchange or gift or shall create a charge thereon or shall sub-let the same for more than five years except by way of exchange under sec. 12 or by way of mortgage or charge to the state government or to a bank for the purpose of obtaining financial assistance from any on them. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 के अनुसार भूमि विक्रय करते समय उन्ही शर्तों/नियमों का पालन किया जाता है जिन नियमों के तहत आवंटन की कार्यवाही की जाती है। इन तथ्यों की ओर अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया। विवादित भूमि का पंजीयन किसके नाम से हैं इन तथ्यों का भी कोई खुलासा नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई। मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विना किसी उचित आधार के स्वीकार कर लिया, जो काबिले खारिज है। नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया है, उससे किसी के अधिकार न तो उत्पन्न होते है और न ही समाप्त होते है। यदि रेस्पोडेन्ट्स के

पास कोई बैयनामा है तो उक्त तथाकथित बैयनामें के आधार पर अपने अधिकारों की सक्षम न्यायालय से घोषणा करवा सकते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.07.2019 निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री रामचन्द्र सिंह भाटी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया। मूल खातेदार जमना पुत्र लिक्ष्मणराम ने आराजी मुतनाजा 21.07 बीघा भूमि दिनांक 08.07.1963 को रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दी। बैयनामा निष्पादित होने पर मूल खातेदार के अधिकार समाप्त हो जाते है। अपीलांट्स को आराजी मुतनाजा को विक्रय करने के बाद विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र से मूल खातेदार जमनाराम द्वारा आराजी मुतनाजा का कब्जा रेस्पोडेन्ट्स खरीददारों को दिया जा चुका है। पंजीबद्ध बैयनामा सक्षम न्यायालय में न तो पेश हुआ हैं और न ही निरस्त हुआ हैं जमनाराम ने खसरा नंबर 183 में 21.07 बीघा भूमि दिनांक 8.7.1963 को प्रतिफल राशि प्राप्त रेस्पोडेंट खरीददार को विक्रय कर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। राजस्थान भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 141 अनुसार हस्तांतरण के रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजों के संबंध में इंतकाल संबंधी समस्त कार्यवाही एक निश्चित प्रक्रिया हैं, जिसका दायित्व राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों का है। न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश दिये है। अपीलांट ने उक्त निर्देशों की पालना रोकने के लिए यहां अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम कानासर राजस्व तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 183 की 21.7 बीघा खातेदारी भूमि है। तहसीलदार राजस्व बीकानेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफ के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का हैं तथा प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार अपीलांट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी जोत को स्थानान्तरित करने के

अधिकार नहीं थे। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2019 उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.07.2019 निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण बैयनामा दिनांक 08.07.1983 के संबंध मे सक्षम न्यायालय में चारोजोही हेतु स्वतंत्र है।

5— तदनुसार अपील अपीलाट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तस्तीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर